"टाड़ा में संशोदन"

4691. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में कौन से संशोधन किये गये हैं और ये संशोधन कब से प्रभावी होंगे; और

(ख) क्या यह सच है कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (टाडा) के अन्तर्गत जेलों में डाले जाने वाले दोषी व्यक्तियों को इस संशोधन से कोई लाभ नहीं होगा, यदि यह सच है तो यह दोषी व्यक्तियों के लिये कैसे लाभदायक है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) मई, 1993 में टाडा को दो साल के लिये आगे बढ़ाते समय मूल अधिनियम में बन्द कमरे में सुनवाई (धारा 16), रिमांड उपबन्ध (धारा 20), अपराध को संज्ञान में लेने सम्बन्धी प्रावधानों (धारा 20 क) के सम्बन्ध में कुछ संशोधन किये गये थे, सह अभियुक्त/ अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति की धारा 3 के अधीन अपराध की प्रकल्पना सम्बन्धी उपबन्ध को निरस्त कर दिया गया था। उक्त संशोधन तुरन्त लागू हो गये थे। अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को संशोधन से लाभ होगा क्योंकि टाडा मामलों के अन्तर्गत अन्वेषण का कार्य तभी शुरू होगा जब पुलिस अधीक्षक इसे प्राधिकृत करेगा और केवल पुलिस महानिरीक्षक की अनुमति के बाद ही मुकदमा शुरू किया जा सकेगा। अन्वेषण के दौरान रिमांड देने में न्यायिक बुद्धि का प्रयोग जरूरी होगा और अन्वेषण में हुई प्रगति को ध्यान में रखना होगा।

विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठन

4692. श्री रामदेव भंडारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी जिले में उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें विभिन्न संस्थाओं से 5 लाख रूपये से अधिक रूपयों की कुल विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) उन संस्थाओं के नाम तथा पते क्या-क्या हैं जिन्होंने इन स्वैच्छिक संगठनों को सहायता उपलब्ध कराई है तथा गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी सहायता का राशि-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निधियों के दुरूपयोग सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या-क्या हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [**देखिए** परिशिष्ट 170, अनुपत्र सं० 91]

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Crimes in Sangam Vihar

4693. SHRI CHATURANAN MISHRA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Governments attention has been drawn to a news item captioned 'Reign of terror in Sangam Vihar' which appeared in The Hindustan Times on the 15th February, 1994;

(b) if so, what action Government have taken/propose to take in his regard: